

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प सैंगरपुर

404
8/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सैंगरपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक मुनेश्वर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करोली / नायब तहसीलदार X की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सैंगरपुर तहसील करोली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 417 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सैंगरपुर	417	लक्ष्मण रामचरण प्रकाश पि. मूला हि. 3/5 किरोडी सुआलल महेश पि. सकोली सन्तो वेवा सकोली रामपति रामप्यारी पुत्री सकोली हि 1/5 चैन सिंह रामवीर पि फिरंगी मुन्नी वेवा फिरंगी मीना अनीता रुनिय ववीता पुत्री फिरंगी नावा सरसक माता मुन्नी हि 1/5 कौम पमार सा देह	लक्ष्मण रामचरण प्रकाश पि. मूला हि. 3/5 किरोडी सुआलल महेश पि. सकोली सन्तो वेवा सकोली रामपति रामप्यारी पुत्री सकोली हि. 1/5 चैन सिंह रामवीर पि फिरंगी मुन्नी वेवा फिरंगी मीना अनीता रुनिय ववीता पुत्री फिरंगी नावा सरसक माता मुन्नी हि. 1/5 कौम जायक सा. देह

08/06/18
(उपखण्ड अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प सैंगरपुर
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार करोली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

दिनांक :-